



11/2/22

पत्रावली पेश हुई। निगरानी कर्ता के अधिक उपस्थित। निगरानी कर्ता के अधिकारता ने निगरानी को नोट प्रैस कर भागे कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। वकील निगरानी कर्ता द्वारा हस्तगत निगरानी को नोट प्रैस करने के कारण निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली कैराल शुमार की जाकर बाद तकमील कारिवत दफतर हो।

Notepress
Vibh
11-2-22



अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकंता)
श्रीगंगानगर